

प्रधानमुख्यआयकरआयुक्तकार्यालय,केरल OFFICE OF THE

PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, KERALA

आयकर भवन, पुराना रेलवे स्टेशन रोड, कोच्चि - 682 018

AAYAKAR BHAWAN, OLD RAILWAY STATION ROAD, KOCHI – 682 018 [PHONE: 0484-2390176: FAX:0484-2396288, 2397113]

F.No.13/Estt.1/DPN-SG/PCC.Ker/2025

Dated: 28th January, 2025

ज्ञापन / MEMORANDUM

विषय: आयकर विभाग, केरल क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति के आधार पर आशुलिपिक ग्रेड-। की नियुक्ति के संबंध में।

Sub: Appointment of Stenographer Grade – I in the Income Tax Department, Kerala region on Deputation basis –Regarding.

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, केरल, आयकर विभाग, केरल क्षेत्र में निम्नलिखित पद को भरने के लिए उपयुक्त और पात्र उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार करने का प्रस्ताव करते हैं, जिसमें नीचे दिए गए पद के वेतनमान और प्रतिनियुक्ति के आधार पर सामान्य स्वीकार्य भत्ते शामिल होंगे:

The Principal Chief Commissioner of Income Tax, Kerala, proposes to draw a panel of suitable and eligible candidates for filling up the following post in Income Tax Department, Kerala region in the pay scale shown against the post below plus usual admissible allowances on deputation basis:

SI.No	Name of the Post	Pay Matrix		Numl	oer of	Posts	Classification of posts
1	Stenographer Grade - I	Level–6 in the pay matrix (Rs.35400–112400).	UR	sc	ST	TOTAL	General Central Services, Group 'B', Non Gazetted, Ministerial
			77	16	7	100*	

^{*} Vacancy exists in different stations of Kerala region.

2. इस संदर्भ में, आशुलिपिक ग्रेड-I के पद के लिए उन उम्मीदवारों से उचित माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो निम्नलिखित मानदंड रखते हों | In this context, the applications in the prescribed proforma through proper channel are invited from the candidates for the post of Stenographer Grade – I who possess the following criteria:

केंद्र सरकार के अधीन आशुलिपिक का पद धारण करने वाले अधिकारियों में से / From amongst officers holding the post of Stenographer under the Central Government -

- i. मूल कैंडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले; या / holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- ii. वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-4 (25500-81100 रूपये) या समकक्ष में दस वर्ष की नियमित सेवायुक्त / with ten years' regular service in Pay Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) or equivalent.

3. फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति पदोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

4. प्रतिनियुक्ति की अविध, जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या किसी अन्य संगठन में किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization shall ordinarily not exceed three years.

5. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी|

The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty - six years as on the closing date of receipt of applications.

6. संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों से अनुरोध है कि पात्र और इच्छुक उम्मीदवारों के आवेदन संलग्न प्रपत्र के अनुसार इस प्रकार अग्रेषित किए जाएं कि वे आयकर आयुक्त (प्रशासन और टीपीएस), 7वीं मंजिल, आयकर भवन, ओल्ड रेलवे स्टेशन रोड, कोट्चि - 682 018 को 31-03-2025 तक पहंच जाएं।

The cadre Controlling Authorities are requested that the applications of eligible and willing candidates may be forwarded as per the proforma enclosed so as to reach the Commissioner of Income Tax (Admin & TPS), 7th Floor, Aayakar Bhawan, Old Railway Station Road, Kochi – 682 018 by 31-03-2025.

- 7. आवेदनों को अग्रेषित करते समय, संवर्ग नियंत्रण अधिकारी यह सत्यापित करें और सुनिश्चित करें कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत विवरण सही हैं और संबंधित आवेदक के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक मामला लंबित या विचाराधीन नहीं है। निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा हुआ आवेदन इस कार्यालय को भेजा जाना चाहिए / While forwarding the applications, the Cadre Controlling Authorities shall verify and ensure that the particulars furnished by the applicants are correct and no disciplinary cases are either pending or contemplated against the applicant concerned. Duly filled application along with the following documents should be send to this office:
 - i. बायो-डेटा जिसमें उनका संपर्क नंबर और ईमेल पता शामिल हो। / Bio Data including his/her contact number and email address.
 - ii. पिछले उपलब्ध पांच वर्षों के लिए पूर्ण और अद्यतन APAR/ACR और उनकी प्रमाणित प्रतियां / Complete and up to date APAR/ACR for the last available five years and certified photocopies thereof.
 - iii. कैंडर अनापत्ति /प्रमाणपत्र / Cadre Clearance/Certificate.
 - iv. सतर्कता अनापत्ति /प्रमाणपत्र / Vigilance Clearance/Certificate.
 - v. सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र। / Integrity Certificate.
 - vi. पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर लगाए गए प्रमुख/लघु दंडों का विवरण / A statement of major/minor penalties, if any, imposed upon the applicant during the last 10 years.

8. अपूर्ण आवेदन या उचित माध्यम से प्राप्त नहीं किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को बाद में किसी भी आधार पर अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Incomplete applications or applications not received through proper channel will not be considered. The candidates will not be allowed to withdraw their candidature subsequently on any ground.

9. मुझे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि रिक्ति को संबंधित क्षेत्रीय आयकर विभाग में और संपूर्ण भारत के अन्य केंद्रीय सरकारी विभागों के पात्र अधिकारियों के बीच परिचालित किया जाए।

I am directed to request that the vacancy may be circulated among the eligible officials of the Income Tax Department in the respective region and other Central Government Departments all over India.

Quellin

[श्रीतु एस एस/ SREETHU S S] आयकर सहायक आयुक्त[मुख्या& प्रशा] Assistant Commissioner of Income Tax [HQ & Admin] प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय,केरल O/o. Pr. Chief Commissioner of Income Tax, Kerala

संलग्न: आवेदन प्रोफार्मा

Encl: Proforma Application

प्रतिलिपि /Copy To

- 1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग। / All Ministries/Department of Government of India.
- 2. सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त। /All the Pr. Chief Commissioners of Income Tax.
- 3. मुख्य आयकर आयुक्त, तिरूवनंतपुरम / The Chief Commissioner of Income Tax, Thiruvananthapuram
- 4. आ म निदे (अन्वे.)कोच्ची / The DGIT (Inv) Kochi
- 5. केरल क्षेत्र के सभी कार्यालय अध्यक्ष / All Heads of Office in Kerala region.
- 6. उप निदेशक (रा भा), प्रधान मुख्य आ.आ. कार्यालय, कोच्ची / The Deputy Director (OL), O/o Pr.CCIT Kochi.
- वेब मैनेजर, incometaxindia.gov.in को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथा / The Web Manager, incometaxindia.gov.in with a request to upload in official web site.

आवेदन का प्रारूप PROFORMA APPLICATION

1	नाम Name (स्पष्ट अक्षरों में / in Block Letters)	
2	जन्मतिथि / Date of Birth	
3	सेवानिवृत्ति की तिथि / Date of Retirement	
4	पद का नाम / Designation	
5	वेतनमान / Pay Scale	
6	सरकारी सेवा में प्रवेश की तिथि / Date of Entry into Government Service	
7	वर्ग / Category	
8	शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं / Educational and other qualifications	·
9	वर्तमान कैडर में कार्य करने की तिथि / Date from which working in present cadre	
10	ज्ञात भाषाएँ / Languages Known	
11	वर्तमान में कार्यरत विभाग/मंत्रालय का पूरा डाक पता Department/Ministry working at present with complete postal address	
12	स्थायी आवासीय पता / Permanent Residential Address	
13	ईमेल आईडी / E-mail ID	
14	फ़ोन नंबर / Phone Number	

स्थान Place	:
तारीख Date	:

आवेदक के हस्ताक्षर दिनांक सहित Signature of the applicant with date

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण सेवा पुस्तिका से सत्यापित कर लिया गया है तथा सही पाया गया है। Certified that the above particulars have been verified with the service book and found correct.

संबंधित कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर Signature of the Head of Office concerned

[टिपण्णी Note: आवेदन अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद ही भेजा जाना चाहिए।The application should be sent only after verification of information given by the official.]